Spl. Sec.
O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/ 14447 / 1962 **दिनांकः–** 12.11.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, शेखपुरा के वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 671/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

12/11/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

Green
8598
20.11.14

नगर परिषद, शेखपुरा
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–671/13–14
वर्ष– 2011–12 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर परिषद, शेखपुरा के वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सामाजिक प्रकोष्ठ– I बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 10.06.2013 से 15.06.2013 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(क)	प्रमुख	
	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्रीमति उषा देवी	01.04.2011 से 09.06.2012
2	श्रीमति पिंकी देवी	09.06.2012 से 31.03.2013
(ख)	उपप्रमुख	
1	श्री रघुनंदन प्रसाद	01.04.2011 से 09.06.2012
2	श्री अजय कुमार	09.06.2012 से 31.03.2013
(ग)	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	मो0 इजतबा हुसैन	15.07.2010 से 10.07.2011
2	श्री सुधांशु शेखर	11.07.2011 से 31.03.2013

. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में नमूना जॉच किए गए पंजियों की सूची परिशिष्ट –I में दर्शाया गया है। जिन ...खों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या जो अधुरा संधारित थे, को ...–II में दर्शाया गया है।

...वर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

...र्व लेखापरीक्षाओं में टिप्पणी के बावजूद नगर परिषद द्वारा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का ...न लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन नहीं होने ...से उद्देश्यों में विफल हो जाता है। अतः, सभी लंबित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का ...यार कर यथाशीघ्र कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को

...ो है।
वापस

...ा

...07 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार ...928 (नियम 20, 64 एवं 73(क)) इत्यादि में भी यह उपबंधित है कि ...ार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिन्हें प्राधिकृत

...0 लाख
करते हुए

किया जाए, के द्वारा किया जाएगा। इस तरह जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने हेतु की जाती है।

नगर परिषद, शखेपुरा के अभिलेखों की जॉच के क्रम में पाया गया कि इस तरह की जॉच व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेक त्रुटियॉ घटित हुई तथा अंकेक्षण के दौराण दृष्टिगत हुई, उनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

6. अधिदृश्य

नगर परिषद, शेखपुरा मुख्यतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा निजी स्रोतों से प्राप्त आय से वित्त संपोषित थी। अंकेक्षण वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की संक्षिप्त प्राप्तियॉ एवं व्यय का सार निम्नवत है–

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	44142090.01	66270345.01
2	जोड़ वर्ष की प्राप्ति	39634988.00	85900668.00
3	कुल प्राप्ति	83777078.01	152171013.01
4	व्यय	17506733.00	25940550.00
5	अंतशेष	66270345.01	126230463.01

(रोकड़ पंजियों की विस्तृत प्राप्ति एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट– III पर उपस्थापित)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) MP, MLA, MLC एवं 12वीं वित्त आयोग मद में कुल 3941836.94 की राशि रोकड़ बही में पड़ी हुई थी। विवरणी निम्नवत है–

1	MP fund	34796.00
2	MLA fund	94268.00
3	MLC fund	75989.00
4	11वीं एवं 12वीं वित्त	3736783.94
		3941836.94

उपर्युक्त सभी योजनाओं को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अतः व्यय की सम्भावना नहीं बनती अतः उपरोक्त योजनाओं से संबंधित राशि को अवरूद्ध न रखा जाये तथा संस्वीकृत प्राधिकारी को कर दिया जाय।

जवाब में बताया गया कि 12वीं वित्त आयोग से ठोस अवशिष्ट मद में अवशेष राशि 18. (लगभग) में से 16.50 लाख की लागत से स्कीड स्टेमर लोडर के क्रय हेतु निविदा विस्तार आपूर्त्ति आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ii) समेकित अल्प लागत मद में भी पिछले दो वर्षों में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया प्राप्त अनुदान एवं ब्याज मिलाकर कुल उपलब्ध राशि (2072068.00) को अनुदान प्राप्ति के पश्चात अवरूद्ध रखा गया है।

जवाब में बताया गया कि शौचालय कार्यपूर्ण किए जाने के लिए संबंधित एन.जी.ओ. अभिनंदन (छपरा) के सचिव को इस कार्यालय के पत्रांक 833/24.08.11, पत्रांक 1062/15.10.11, पत्रांक 1311/07.12.11, पत्रांक 273/11.02.12, पत्रांक 948/27.11.12, पत्रांक 492/10.07.12 एवं पत्रांक 283/14.03.13 द्वारा पत्राचार कियाा गया है।

नगर परिषद का जवाब संतोषप्रद नहीं है। अतः योजना को पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाये अन्यथा राशि को संस्वीकृत प्राधिकारी को वापस कर दिया जाये।

7. संवरण शेष

31 मार्च 2013 को रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक संवरण शेष निम्नवत थी–

रोकड़ बही अंतशेष

क0सं0	रोकड़ बही का नाम	राशि
1	पी.एल. खाता	1944136.18
2	आंतरिक स्रोत– I	601627.95
3	आंतरिक स्रोत– II	7755983.95
4	मैचिंग ग्रान्ट	5502973.00
5	वेतन	26282.00
6	बी.आर.जी.एफ.	19994364.00
7	12वीं वित्त आयोग	3736783.94
8	13वीं वित्त	9586560.00
9	एन.एस.डी.पी.	1088578.04
10	एस.जे.एस.आर.वाई. 1	7912.20
11	एस.जे.एस.आर.वाई. 2	36285.00
12	एस.जे.एस.आर.वाई 3	8069205.75
13	एम.एल.सी. मद	75989.00
14	एम.एल.एं मद	94268.00
15	सांसद मद	34796.00
16	जन प्रतिनिधि भत्ता	392000.00
17	+2 विद्यालय भवन निर्माण	1936414.00
18	नगर प्रबंधक मानदेय	114215.00
19	कबीर अंत्येष्टि	125564.00
20	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	26785128.00
21	राज्य योजना	26938461.00
22	समेकित अल्प लागत शौचालय	2072068.00
23	सामाजिक सुरक्षा	9224721.00
24	विविध	92147.00
	कुल योग	126230463.01

177

बैंक पासबुक अंतशेष

क0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	कोषागार	844800102000101	74690661.18
2	एस.बी.आई.	11373336637	764013295.00
3	एस.बी.आई.	30380144648	20007335.94
4	एस.बी.आई.	11419089825	942237.00
5	एस.बी.आई.	11373370497	1088578.04
6	एस.बी.आई.	11419080473	7912.20
7	केनरा बैंक, शेखपुरा	2474101000275	30285.00
8	एस.बी.आई.	31065443958	1936414.00
9	एस.बी.आई.	31514518859	114215.00
10	बिहार क्षे.ग्रा. बैंक	3308011000	1744193.00
11	एस.बी.आई.	11419089858	560219.95
12	बैंक ऑफ इंडिया	459210110005299 से 459210110005307	2323214.00
13	बैंक ऑफ इंडिया	49210110005772	1507.00
14	एस.बी.आई.	11373363408	8069205.75
15		5348135	65009.00
			126230463.01
	बैंक के अनुसार राशि		119106904.81
	अग्रिम (सामाजिक सुरक्षा)		690000.00
	कैश इन हैण्ड		109343.00
	कुल राशि		**120020463.01**

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) आंतरिक स्रोत मद में दो एवं एस.जे.एस.आर.वाई मद में तीन रोकड़ बहियों का संचालन किया जा रहा है। सरकारी निर्देशानुसार एक मद की राशि के लिए एक ही रोकड़ बही का संचालन किया जाना चाहिए। जवाब में बताया गया कि एस.जे.एस.आर.वाई के लिए एक ही रोकड़ बही के संधारण की कार्रवाई की जाएगी। अंकेक्षण का सुझाव है कि आंतरिक स्रोत एवं एस.जे.एस.आर.वाई मद के एक ही रोकड़ बही का संचालन किया जाये।

(ii) सामाजिक सुरक्षा मद में दी गयी अग्रिम 69.00 लाख का समायोजन अविलंब किया जाये।

8. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण वर्ष के प्रारंभ अर्थात 01.04.2011 को वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में प्राप्त व उपयोग की गयी राशि तथा वर्ष के अंत में (31.03.13) अव्यवहृत अनुदान की राशि की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यद्यपि 2011–12 एवं 2012–13 में संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों के अनुसार 111056130.00 का अनुदान नगर परिषद, शेखपुरा को प्राप्त हुआ।

(विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– IV पर उपस्थापित)

अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये। जवाब में नगर परिषद द्वारा बताया गया कि सरकारी अनुदान पंजी संधारित करने की कार्रवाई वर्ष 2013–14 से की जाएगी।

9. उपयोगिता प्रमाण पत्र चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में 2011–12 एवं 2012–13 में कुल 312.25 लाख प्राप्त हुए तथा कुल 44.40 लाख ही व्यय हुआ (वर्ष 2011–12– शुन्य, वर्ष 2012–13 में 44.40 लाख)

वेतन/पेंशन मद	4.78 लाख
योजना	39.62 लाख
	44.40 लाख

प्राप्त आवंटन का मदवार कर्णांकित राशि निम्नवत थी–

क0सं0	मद	2011–12 (लाख में)	2012–13(लाख में)	कुल (लाख में)
1	वेतन/पेंशन	38.68	55.72	94.40
2	विद्युत विपत्र आकस्मिक	5.52	7.96	13.48
3	विकास कार्य	11.05	1592	26.97
4	नगरीय सड़क	5.96	5.90	11.86
5	हाथ से मैला ढोने व्यवस्था संभरा	16.71	16.55	33.26
6	लोक स्वास्थ्य एं स्वच्छता	4.18	4.14	8.32
7	सड़कों के लिए रोशनी	5.57	5.52	11.09
8	जलापूर्ति	5.01	4.97	9.98
9	पार्किंग स्थल	2.89	—	2.89
10	असंवद्ध अनुदान	50.00	50.00	100.00
		145.57	**166.68**	**312.25**

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) प्राप्त कुल अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रतिशत निराशाजनक पाया गया। यह मात्र 14.22 प्रतिशत ही था। किन परिस्थितियों में राशि का उपयोग नहीं किया सका, स्पष्ट किया जाये। व्यय राशि ₹44.40 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) कर्णांकित राशि के विरूद्ध व्यय राशि का ब्योरा अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये।

जवाब में बताया गया कि उपर्युक्त दोनों वित्तीय वर्ष मे प्राप्त राशि के विरूद्ध 06/12–13 एवं 01/13–14 के द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है। योजना कार्य पूर्ण होने पर एम.बी. होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। कर्णांकित राशि के विरूद्ध मदवार ब्योरा अवलोकनार्थ संलग्न है।

10. उपयोगिता प्रमाण पत्र तेरहवीं वित्त आयोग

वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल 116.39 लाख अनुदान प्राप्त हुआ तथा उपलब्ध कुल अनुदान 135.39 लाख में से मात्र 40.18 लाख (2011–12 70.62 लाख का एवं 2012–13 में 29.56 लाख व्यय 2012–13 में हुआ जो कुल प्राप्त अनुदान का मात्र 29.68% ही है)

तेरहवें वित्त आयोग के स्वीकृत दिशानिर्देश के अनुसार प्राप्त राशि को प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित मदों में व्यय करना है–

(1) कम से कम 50 राशि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

(2) पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था, रख रखाव सहित

(3) सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था .... पर उपयोग विपत्र के भुगतान

(4) रैन बसेरा/ओल्ड एज होम का निर्माण एवं स्वास्थ्य।

उपलब्ध कराए गए व्यय विवरणी/रोकड़ बही के अनुसार प्राप्ति एवं व्यय विवरणी निम्नवत थी–

प्राप्ति (31.03.13 तक)	व्यय	मद	व्यय का प्रतिशत
135.39 लाख	6.18 लाख	विद्युत विपत्र	4.56%
	34.00 लाख	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	25.11%
	40.18 लाख		29.68%

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राशि की उपयोगिता का प्रतिशत निराशाजनक है जो कि मात्र 29. 6% ही है। किन परिस्थितियों में राशि का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका, यह स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ सरकार एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी गई उपयोगिता प्रमाण पत्र (यदि भेजी गयी थी) भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) पुनः ठोस अवशिष्ट प्रबंधन मद में कुल 34 लाख का व्यय किया गया जो कि सफाई संयंत्र/उपकरण प्राप्ति पर व्यय है।

ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ठोस अवशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटारा आदि शामिल है। इस प्रबंधन का मुख्य कार्य कचड़े को **disposal** हेतु **land fill site** को भी विकसित करना है।

अतः, यह स्पष्ट किया जाये कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधण हेतु वास्तव में क्या प्रकिया अपनायी जा रही है तथा कार्य किन स्तर पर है।

जवाब में बताया गया कि कुल प्राप्त राशि 1353900.00 में से–

(क) ठोस अपशिष्ट मद में प्राप्त आवंटन– 6769500.00

व्यय– 3400000.00

अवशेष– 3369500.00 में से 2653000.00 रू0 का डम्पिंग यार्ड के निर्माण के लिए अखिलेश प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को पत्रांक 1062 दिनांक 15.12.12 के द्वारा भेजा गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही निविदा के माध्यम से योजना का कियान्वयन शीघ्र कराया जाएगा।

(ख) नागरिक सुविधा मद में

प्राप्त आवंटन– 6769500.00

व्यय– विद्युत विपत्र– 618000.00

अवशेष– 6151500.00 में से दो रैन बसेरा ₹2220300.00 की दर से कुल ₹4440600.00 का योजना अभिलेख प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपर्युक्त पत्रांक द्वारा जिला पदाधिकारी को भेजा गया है।

राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण– पत्र सरकार एवं महालेखाकार, बिहार को भेजा जाये।

11. नहीं जमा

नगर परिषद, शेखपुरा के एच रसीद एवं विविध रसीद की जॉच एवं दैनिक संग्रह पंजी तथा रोकड़ बही के मिलान के कम में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा 295843.79 की राशि प्राप्ति के पश्चात नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था। उपरोक्त राशि में से 223693.00 अंकेक्षण अवधि के दौरान जमा कर दिया गया। विवरण निम्नवत है–

एच रसीद

क्र.सं.	एच रसीद क./तिथि	राशि	कर संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
(i)	8745 से 8800 25.10.11–29.02.12	41218.00	श्री अर्जुन प्रसाद	NR 2399/28.05.13 द्वारा 20504 जमा शेष 20714.00 बाकी
(ii)	11201 से 11300 24.12.12 से 05.01.13	38473.06	तदैव	38474.00 एस.बी.आई. 11373336637 में 23.05.13 को जमा
(iii)	11601 से 11700 05.01.13 से 29.01.13	49588.00	तदैव	49588.00 एस.बी.आई. –11373336637 में 24.05.13 को जमा
(iv)	12223 से 12300 12.03.13 से 30.03.13	35059.85	तदैव	35060.00 खाता सं0 11373336637 में 25.05.13 को जमा
(v)	12301 से 12300 22.03.13 से 30.03.13	30588.06	तदैव	30590.00 खाता सं0 11373336637 में 27.05.13 को जमा

73

(vi)	12337 से 12353 10.05.13 से 22.05.13	12974.00	तदैव	12975.00 बैंक खाता सं0 11373336637 में 28.05.13 को जमा
(vii)	10990 से 11000	137872.00	श्री सुनील कुमार	राशि जमा नहीं की गयी
(viii)	12001 से 12057	10803.71	तदैव	तदैव
(ix)	10501 से 10555 06.12.12 से 17.05.13	11713.67	तदैव	तदैव
(x)	11922 से 11944 24.03.13 से 31.03.13	20176.00	श्री अर्जुन प्रसाद	तदैव
(xi)	12101 से 12128 12.03.13 से 15.03.13	16968.72	तदैव	9600.00 NR रसीद सं0 2398/28.05.13 को जमा
		268941.79		
	विविध रसीद			
(xii)	1201 से 1300 22.02.12 से 02.05.12	1980.00	श्री विक्की आनन्द शर्मा	NR No 93921/28.05.13 द्वारा राशि जमा
(xiii)	1401 से 1500 03.05.12 से 28.05.13	1970.00	तदैव	NR No. 23921/ 28.05.13 द्वारा राशि जमा
(xiv)	1801 से 1900 25.08.12 से 28.10.12	1420.00	तदैव	NR No. 23931 28.05.13 द्वारा राशि जमा
(xv)	2001 से 2002 16.11.12 से 28.11.12	20.00	तदैव	NR No. 2397/28.05.13 द्वारा राशि जमा
(xvi)	2016 से 2023 12.12.12 से 15.01.13	336.00	तदैव	NR No. 2395/28.05.13 द्वारा राशि जमा
(xvii)	2035 से 2081 27.04.13	1150.00	तदैव	NR No. 2396/28.05.13 द्वारा राशि जमा
(xviii)	1301 से 1400 19.04.12 से 10.10.12	20026.00	गुलाम सर्फुद्दीन	बैंक खाता सं0 एस.बी.आई. 11373336637 में दिनांक 28.05.13 को जमा
	कुल योग	295843.79		

कुल नहीं जमा– 295843.79

अंकेक्षण में जमा– 223693.00

नहीं जमा– 72150.79

नहीं जमा राशि 72150.79 को अविलम्ब जमा कराकर प्राप्ति की सम्पुष्टि रोकड़ बही/बैंक पासबुक में कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

जवाब में बताया गया कि अवशेष राशि जमा करने हेतु विभिन्न कर संग्राहकों को निर्देश दे दिया गया है।

12. होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नहीं

नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा बिहार म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानानुसार होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध संचिका से यह ज्ञात हुआ कि नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा पूर्व में (04.12.2005) को गृह कर पुनरीक्षण कार्य किया गया था, जिसे निर्धारित दर के अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को जानकारी के अभाव में भेजा नहीं गया।

दिनांक 04.12.2005 को नगर पंचायत के बैठक द्वारा पारित निर्धारण दर व सड़कों के वर्गीकरण से संबंधित पारित प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 12998/05.12.11 द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग अपने पत्रांक 1684/21.05.2012 द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रस्ताव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के कंडिका 4 के अनुसार नहीं है, अतः उक्त धारा के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

नगर परिषद के पत्रांक 680/30.08.12 द्वारा होल्डिंग टैक्स दर निर्धारण का प्रस्ताव सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया (25.08.12 को बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव)

पुनः नगर विकास विभाग के पत्रांक 3451 दिनांक 26.09.2012 के आलोक में होल्डिंग दर की सूची को नगर परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 20.10.12 के द्वारा अनुमोदित दर को अनुमोदन हेतु भेजा गया।

इस बीच सरकार के पत्रांक 343 दिनांक 15.02.2013 के द्वारा पुनः यह स्पष्ट किया कि सम्पत्ति कर (निर्धारण, संपादन एवं वसूली) अधिनियम 2013 अधिसूचित किया जा चुका है तथा शहरी स्थानीय निकाय 1 अप्रैल 2013 से सम्पत्ति कर में सुधार लाने हेतु सक्षम हो गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इसे सरकारी ढंग से लागू करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अपेक्षा की गयी थी।

(i) वर्तमान में प्रभावी 27 प्रकोष्ठों वाली टैरिफ संरचना तथा पत्रांक–3451/26.09.12 के अनुरूप प्रस्तावित टैरिफ संरचना, पुनरीक्षित दर को दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी बनाने संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित संकल्प की प्रति

(ii) सड़कों के अद्यतन वर्गीकरण का ब्योरा स्थानीय समाचार पत्रों में इसके प्रकाशन की तिथि तथा इसके लागू होने की तिथि

(iii) चालु संपति कर तथा इसके विभिन्न संघटकों (होल्डिंग कर, शौचालय कर आदि) का ब्यौरा

(iv) अधिनियम 2007 की धारा 133 के अधीन संपत्ति कर के विभिन्न अवयवों को संपति कर के रूप में समेकित करने संबंधी सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत संकल्प आदि तथा घृतिकर लागू किए जाने से संबद्ध सार्वजनिक सूचना दैनिक जागरण सामचार पत्र में दिनांक 17.03.2013 को प्रकाशित किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) वर्ष 1996 से अब तक गृह कर पुनरीक्षण का कार्य नहीं होने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं कियाा गया।

(ii) दैनिक जागरण में प्रकाशित सूचना दिनांक 17.03.13 तथा सरकार के पत्रांक 929/08.11.12 के द्वारा दर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव के बाद अभी तक आगे की कार्रवाई एवं गृह कर पुनरीक्षण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

(iii) पत्रांक 343/15.02.13 के द्वारा सरकार द्वारा मॉगी गयी अपेक्षित सूचना सरकार को उपलब्ध करायी गयी या नहीं, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

इस संबंध में नगर परिषद द्वारा बताया गया कि पत्रांक 384 दिनांक 10.04.2013 के द्वारा मॉगी गई सूचना सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर आपका मंतव्य अपेक्षित है।

13. भयावह एवं खतरनाक व्यापारों की अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली नहीं/करारोपण नहीं

बिहार एवं उड़िसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 259(1) के तहत भयावह एवं अवकारक व्यापारों पर अनुज्ञप्ति शुल्क वसूलने का प्रावधान है। परन्तु नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा भयावह एवं अवकारक व्यापारों पर जैसे आटा चक्की मशीन, मीट/मुर्गा दुकान, जेनरेटर, लकड़ी एवं कोयला संबंधी व्यापार, पटाखा दुकान इत्यादि व्यवसायों पर कर नहीं लगाया जा रहा है। फलस्वरूप इन व्यवसायों से मिलने वाली अनुज्ञप्ति शुल्क से नगर परिषद वंचित है। अतः उपर्युक्त अधिनियम के तहत करारोपण कर वित्तीय स्थिति को सुदृढ किया जाये।

जवाब में बताया गया कि ट्रेड लाईसेंस की वसूली हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है जिसमें आटा चक्की, मीट/मुर्गा दुकान, जेनरेटर, लकड़ी एवं कोयला से संबंधित कारोबार, पटाखा दुकान एवं अन्य खतरनाक एवं अवकारक व्यवसायों पर कर लगाए जाने के लिए दर अनुमोदन हेतु पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पास पत्राचार की गई है। दर अनुमोदन प्राप्त होते ही वसूली प्रारंभ कर दी जाएगी।

14. गृह कर बकाया (₹12.02 लाख)

नगर परिषद, शेखपुरा द्वारा गृह कर हेतु मॉग वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, फलस्वरूप गृह कर की वास्तविक मॉग, इसके विरूद्ध वसूली एवं वर्ष के अंत में बकाया राशि की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यद्यपि नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार गृहकर की मॉग, वसूली एवं बकाया की स्थिति निम्नवत थी–

क.सं.	मद	2011–12(लाख में)	2012–13(लाख में)
(i)	मॉग	30.17	25.76
(ii)	वसूली	13.61	13.75
(iii)	बकाया	16.57	12.02
(iv)	वसूली का प्रतिशत	45.11	53.37

उपर्युक्त विवरणी के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 45.11 एवं 53.37 था। गृह कर बकाया राशि 1201612.00 की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएँ।

15. मोबाईल टॉवर पर पंजीयन शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया (9.60 लाख)

बिहार संचार मिनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर परिषद अंतर्गत अधिष्ठापित किए जाने वाले प्रत्येक टॉवर पर 40000.00 पंजीयन शुल्क एवं 10000.00 नवीकरण शुल्क (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए) प्रतिटॉवर की दर से लिए जाने का प्रावधान है।

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर परिषद अन्तर्गत अधिष्ठापित मोबाईल टॉवर कम्पनियों पर नवीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में (9.60 लाख का बकाया था। (विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– V पर उपस्थापित)

मोबाईल कम्पनियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाए जाएँ।

16. स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर संबंधित सरकारी शीर्ष में जमा नहीं

बिहार सरकार के निर्देशानुसार नगर निकाय गृहकर का 50% स्वास्थ्य उपकर एवं 50% शिक्षा उपकर की वसूली गृह कर के साथ करेगा। स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर के रूप में वसूली गयी कुल राशि का 10% नगर निकाय अपने पास रखकर शेष सम्बन्धित सरकारी शीर्ष (विभाग) में जमा करेगा।

नगर परिषद द्वारा स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर के रूप में कुल 759894.00(379947 x 2) की वसूली की गयी परन्तु उपर्युक्त राशि का 90% (10% अपने पास रखने के बाद शेष) सम्बन्धित विभाग को नहीं भेजा गया था। विवरण निम्नवत है–